बिहार सरकार
बिहार विकास मिशन

दिनांक 22.11.2017 को अध्यक्ष, उपमिशन–सह–विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार विकास मिशन के अंतर्गत उद्योग एवं व्यवसाय उपमिशन की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की उपस्थिति पत्रक अनुलग्नक–1 पर द्रष्टव्य है।

बैठक अपने नियत समय पर प्रारंभ हुई। बैठक में उद्योग एवं व्यवसाय उप मिशन से संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित हुए जबकि विभागों के प्रधान सचिव/सचिव अन्यत्र व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सके। बैठक में सर्वप्रथम उद्योग एवं व्यवसाय उपमिशन के अंतर्गत कार्यान्वित निश्चय एवं सुशासन के कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की अद्यतन स्थिति का प्रस्तुतीकरण Power Point के द्वारा किया गया जिसपर विभागवार समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है :–

उद्योग विभाग– नई स्टार्ट–अप नीति, 2017 के क्रियान्वयन एवं प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें दिखाया गया कि अब तक 3346 आवेदन ऑनलाईन प्राप्त हुए हैं जिसमें अबतक 605 स्टार्ट–अप्स को इन्क्यूबेटर के साथ सम्बद्ध किया गया है। SIAC की अनुशंसा के आलोक में 32 आवेदकों को स्टार्ट–अप के रूप में प्रमाणीकृत किया गया है। इनमें से 16 आवेदकों को प्रथम किस्त के रूप में 38.90 लाख रू0 विमुक्त किया गया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत अबतक 604 आवेदन ऑनलाईन प्राप्त हुए हैं। SIPB द्वारा 539 को स्टेज–1 का क्लियरेंस दिया गया है जिसमें निवेश की कुल प्रस्तावित राशि 5020.13 करोड़ रू0 है। स्टेज–2 एवं स्टेज–3 क्लियरेंस हेतु क्रमशः 27 एवं 12 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं। अभीतक 55 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दी गई है। बैठक में उपस्थित उद्योग विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसमें निवेश की राशि 954.78 करोड़ रू0 है।

राज्य में निवेश आकर्षित करने के मामले में धीमी प्रगति पर चिन्ता जताई गयी तथा पृच्छा किया गया कि विभाग द्वारा निवेश आकर्षित करने हेतु क्या किया गया है ? नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी हाल में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग निवेश आमंत्रण हेतु लुधियाना गये हुए थे। इस पर पूछा गया कि इस यात्रा का Out Come क्या हुआ ? यह पूछने पर कि पर्याप्त Investment नहीं होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है ? तो नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भूमि की उपलब्धता का नहीं होना सबसे बड़ा कारण है। नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निवेशकों द्वारा रियायत दर पर जमीन की मांग की जाती है जबकि बाँका एवं जमुई के अलावे अन्य जिलो में आवश्यक भूमि की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। सुझाव दिया गया कि लखीसराय में भी जमीन उपलब्ध हो सकता है। वस्त्र उद्योग में निवेश आकर्षित कराने हेतु सूरत में या त्रिपुर में कॅन्फरेंस कराने का सुझाव दिया गया। Tea Processing में निवेश आकर्षित कराने हेतु सिलीगुड़ी में कॅन्फरेंस कराने का भी सुझाव दिया गया। इसके लिए किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड में भूमि की तलाश की जानी चाहिए। इसके अलावे Food Processing एवं Agro आधारित उद्योगों के लिए नेपाल बोर्डर से सटे जिलों में जमीन तलाशने की सलाह दी गई। बैठक में उपस्थित अपर निदेशक, प्रोग्राम मॉनिटरिंग द्वारा सुझाव दिया गया कि सात निश्चय के कार्यक्रम मिशन मोड में क्रियान्वित किये जाने हैं, इसलिए उद्योग विभाग को निवेश आकर्षित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इस पर नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निवेश के पथ में सबसे बड़ी बाधा भूमि की है।

गन्ना उद्योग विभाग– नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 22.34 करोड. रू0 की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2017–18 में चीनी मिल प्रोत्साहन पैकेज के तहत 78.00 करोड़ रू0 का बजट प्राप्त हुआ है जिसमें 64.74 करोड़ रू0 स्वीकृत किया गया है। अभीतक 58.99 करोड़ रू0 का व्यय किया गया है। शेष राशि के व्यय एवं स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। गत वित्तीय वर्ष चीनी रिकवरी का लक्ष्य